तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ओमार खारोल वगै० बनाम नन्दा खारोल किस्म- प्रा०पत्र० 16/12	
	जो दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र हेतु दि० 20-2-18 को पेश हो	
20/2/18	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें है / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक ...... को पेश हो।	
	23.05.2018 आज्ञा से रीडर पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम सालरियाकंला में पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा प्रा0पत्र बाबत स्थगन में बहस करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए, बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। जबकि इसके विरूद्ध विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किये जाने की ईस्तदुआ की। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का अवलोकन / परिक्षण किया गया। एंव बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थीगण अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है इसका पुष्ठिकरण स्वंय प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से किया है, किन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कही अन्यत्र गोद जाना दर्शाया जबकि प्रार्थीगण की और से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य / सबूत बहस के दौरान प्रस्तुत नही किया है, जिससे वास्तव में यह प्रमाणित हो सके कि अप्रार्थी कहीं भी अन्यत्र गोद रहा हो। यानि प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहे है कि अप्रार्थी अपने पिता भागीरथ खारोल की मृत्युपरान्त खुली विरासत में नाम दर्ज कराये जाने का हकदार नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.07.2012 को अपास्त करते हुए, प्रार्थनापत्र में आगे की कार्यवाही को इसी स्तर पर स्थगित कर, अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।	